फाइल नं0-71-1001/847/2020

136/2021/।/114435/2021

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/प्रयागराज/झाँसी/आगरा, गोरखपुर/कानपुर/अम्बेडकरनगर /सहारनपुर/बाँदा/आजमगढ़/जालौन/कन्नौज/बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच/शाहजहाँपुर/बस्ती/अयोध्या/फिरोजाबाद /एटा/हरदोई/सिद्धार्थनगर/देवरिया/गाजीपुर/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/जौनपुर।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक नवम्बर, 2021

विषय- **आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय हेतु स्थिति स्पष्ट किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-।/111713/2021/71-1001/847/2020, दिनॉक 02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन्स दिनॉक 21.05.2021 के क्रम में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के कुछ प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। अत: उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनॉक 02.11.2021 के क्रम में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनॉक 02.11.2021 में उल्लिखित है कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आयुष्मान योजना के अन्तर्गत क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के 25 प्रतिशत का व्यय इन्सेन्टिव पर तथा 75 प्रतिशत धनराशि का व्यय अवस्थापना सुविधाओं पर किया जायेगा। अभी तक इन्सेन्टिव पर व्यय होने वाली 25 प्रतिशत धनराशि के संबंध में निर्णय नहीं हो पाया है। अत: उक्त 25 प्रतिशत धनराशि को होल्ड कर शेष 75 प्रतिशत धनराशि का व्यय ही उक्त शासनादेश में उल्लिखित मदों पर किया जा सकेगा।

(2) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में उक्त योजना के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रियात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत अवस्थापनाओं सुविधाओं पर होने वाले व्यय के सापेक्ष रू0 25.00 लाख तक की धनराशि का व्यय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त किया जायेगा। रू0 25.00 लाख से रू0 50.00 लाख की सीमा तक की धनराशि का व्यय

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन एवं रू0 50.00 लाख से अधिक की धनराशि का व्यय शासन के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

(3) उक्त व्यवस्था आयुष्मान योजना पर ही लागू मानी जायेगी।

(4) चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के क्लेम से प्राप्त धनराशि के व्यय के संबंध में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था ही लागू रहेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के क्लेम से प्राप्त होने वाली धनराशि के व्यय के संबंध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनॉक 02.11.2021 के क्रम में उपर्युक्तानुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, 3 व 4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।